अनुदान संख्या 3 - पशुपालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग
GRANT No. 3 – DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*				
पूरक	*Supplementary*	*71,00*	*71,00*	*69,66*	*–1,34*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	2338,57,00	2338,60,00	2140,91,42	-197,68,58
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				170,41,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–		22,80,00	11,77,50	-11,02,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,19,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services	2150.00	1965.38	-184.62

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "2403" पशु पालन	Major Head "2403" Animal Husbandry					
मू.	O.	62448.00				
पू.	S.	1.00		47541.94	46090.94	-1451.00
पु.	R.	-14907.06				
मुख्य शीर्ष "2404" डेरी विकास	Major Head "2404" Dairy Development					
मू.	O.	72100.00				
पू.	S.	1.00		86421.18	86095.70	-325.48
पु.	R.	14320.18				
मुख्य शीर्ष "2405" मत्स्य पालन	Major Head "2405" Fisheries					
मू.	O.	19502.00				
				20037.22	19632.57	-404.65
पु.	R.	535.22				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	18750.00				
पू.	S.	1.00		..	..	..
पु.	R.	– 18751.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants–in–aid to State Governments					
मू.	O.	56957.00				
				59273.66	58918.83	-354.83
पु.	R.	2316.66				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants–in–aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	1950.00				
				1395.00	1388.00	–7.00
पु.	R.	–555.00				

(I) ₹20691.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छप्पन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹19836.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹20691.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013) remained wholly unutilised under fifty six heads; of these ₹19836.00 lakhs accounted for under the following major heads:–

(का) मुख्य शीर्ष "2403" - "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - एवियन इन्फ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम" - ₹1000.00 लाख विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना का विस्तार न किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2403"– "Special Component plan for Scheduled Castes – Preparedness Control and Containment of Avian Influenza" – ₹1000.00 lakhs - due to non-extension of World Bank assisted project.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(B) Major Head "2552"–

(क) "पशु पालन- पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य" -

(a) "Animal Husbandry – Veterinary Services and Animal Health"–

(i) "एवियन इन्फ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम" - ₹2000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(i) "Preparedness Control and Containment of Avian Influenza"– ₹2000.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "क्षेत्रीय रोग नैदानिक रेफरल प्रयोगशालाएं" - ₹101.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "Regional Disease Diagnostic Referral Laboratories"– ₹101.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(iii) "पशु रोग नियंत्रण" - ₹1020.00 लाख;

(iii) "Animal Disease Control"–₹1020.00 lakhs;

(iv) "विद्यमान अस्पतालों/औषधालयों का सुदृढ़ीकरण" - ₹1110.00 लाख;

(iv) "Strengthening of existing hospitals/dispensaries" –₹1110.00 lakhs;

(v) "राष्ट्रीय ब्रूसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹200.00 लाख;

(v) "National Control Programme on Brucellosis"–₹200.00 lakhs;

(ख) "पशु पालन - गाय और भैंस विकास" -

(b) "Animal Husbandry–Cattle and Buffalo Development" –

(i) "राष्ट्रीय गाय और भैंस प्रजनन परियोजना" - ₹2000.00 लाख;

(ii) "पशु बीमा" - ₹500.00 लाख;

(ग) "पशु पालन - भेड़ और ऊन विकास - जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का एकीकृत विकास" - ₹150.00 लाख;

(घ) "पशु पालन - चारागाह और चारा विकास - चारा और चारागाह विकास स्कीम" - ₹500.00 लाख;

(ङ) "पशु पालन - सूअर बाड़ा विकास - सूअरबाड़ा विकास" - ₹500.00 लाख;

(च) "पशु पालन - कुक्कुट विकास" -

(i) "ग्रामीण पिछला हाता कुक्कुट विकास" - ₹400.00 लाख;

(ii) "कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि" - ₹300.00 लाख;

(छ) "डेरी विकास - डेरी विकास परियोजनाएं" -

(i) "सघन डेरी विकास कार्यक्रम" - ₹1000.00 लाख;

(ii) "गुणत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का अवसंरचना सुदृढ़ीकरण" - ₹400.00 लाख;

(iii) "डेरी उद्यमिता विकास" - ₹2500.00 लाख;

(ज) "मत्स्य पालन - आंतर स्थलीय मत्स्य पालन - आंतर स्थलीय जल संस्कृति और मत्स्य पालन का विकास" - ₹1500.00 लाख;

(i) "National Project on Cattle and Buffalo Breeding"– ₹2000.00 lakhs;

(ii) "Livestock Insurance"– ₹500.00 lakhs;

(c) "Animal Husbandry – Sheep and Wool Development – Integrated Development of Small Ruminants" – ₹150.00 lakhs;

(d) "Animal Husbandry – Feed and Fodder Development – Fodder and Feed Development Scheme" – ₹500.00 lakhs;

(e) "Animal Husbandry – Piggery Development – Piggery Development" – ₹500.00 lakhs;

(f) "Animal Husbandry – Poultry Development" –

(i) "Rural Backyard Poultry Development" –₹400.00 lakhs;

(ii) "Poultry Venture Capital Fund" – ₹300.00 lakhs;

(g) "Dairy Development– Dairy Development Projects"–

(i) "Intensive Dairy Development Programme" – ₹1000.00 lakhs;

(ii) "Strengthening Infrastructure for Quality and Clean Milk Production" – ₹400.00 lakhs;

(iii) "Dairy Entrepreneurship Development" – ₹2500.00 lakhs;

(h) "Fisheries – Inland Fisheries – Development of Inland Aquaculture and Fisheries" – ₹1500.00 lakhs;

(झ) "मत्स्य पालन - समुद्री मछली पालन" -

(i) "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण और मत्स्य पालन प्रशिक्षण और विस्तार" - ₹500.00 लाख;

(ii) "समुद्री मछली पालन, अवसंरचना और फसल के बाद के कार्यों का विकास" - ₹500.00 लाख;

(ञ) "पशु पालन - प्रशासनिक अन्वेषण और सांख्यिकी"-

(i) "एकीकृत नमूना सर्वेक्षण" - ₹160.00 लाख;

(ii) "पशु गणना" - ₹1500.00 लाख; और

(ट) "मत्स्य पालन - मत्स्य पालन सहकारिताएं - राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड" - ₹1530.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त बीस शीर्षों के अंतर्गत आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पशु पालन - पशु स्वास्थ्य सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - खाद्य सुरक्षा और प्राप्यता" - ₹465.00 लाख प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - पशु पालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग" - ₹184.62 लाख की बचत (₹2150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(i) "Fisheries – Marine Fisheries" –

(i) "National Welfare of Fishermen and Fisheries Training and Extension" – ₹500.00 lakhs;

(ii) "Development of Marine Fisheries, Infrastructure and Post Harvest Operations" – ₹500.00 lakhs;

(j) "Animal Husbandry–Administrative Investigation and Statistics" –

(i) "Integrated Sample Survey" – ₹160.00 lakhs;

(ii) "Livestock Census" – ₹1500.00 lakhs; and

(k) "Fisheries – Fisheries Cooperatives – National Fisheries Development Board" – ₹1530.00 lakhs.

Provisions under the above twenty heads remained unutilized due to re–appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Animal Husbandry – Veterinary Services and Animal Health – Food Safety and Traceability" - ₹465.00 lakhs - due to non-finalisation of proposals.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries" – saving of ₹184.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2150.00 lakhs) was due to economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2403" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "पशु स्वास्थ्य सेवाएं और पशु स्वास्थ्य" -

(क) "पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाएं" - ₹107.68 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) "पाद और मुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹2117.16 लाख की बचत (₹12600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और पाद एवं मुख रोग वैक्सीन की कम अधिप्राप्ति होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "राष्ट्रीय पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद गुणता नियंत्रण केंद्र" - ₹385.78 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम में पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने, रिक्त पदों को न भरे जाने, मशीनरी और उपस्करों की खरीद न किए जाने और लघु कार्य का मूर्तरूप न लेने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घ) "एवियन इंफ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम" - ₹4217.80 लाख की बचत (₹4220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना का विस्तार न किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली" - ₹327.16 लाख की बचत (₹824.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण के लिए कम निधियों

(III) Under Major Head "2403"– savings occurred under the following heads:–

(A) "Veterinary Services and Animal Health" -

(a) "Animal Quarantine and Certification Services" – saving of ₹107.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was due to non–filling up of vacant posts and economy measures.

(b) "Foot and Mouth Diseases Control Programme" – saving of ₹2117.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12600.00 lakhs) was due to reduction of provisions at revised estimates stage owing to non–receipt of sufficient proposals and less procurement of foot and mouth disease vaccine.

(c) "National Veterinary Biologicals Products Quality Control Centers" – saving of ₹385.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non receipt of sufficient proposals in the scheme, non-filling up of vacant posts, non-purchase of machinery and equipments and non-materialisation of minor work.

(d) "Preparedness Control and Containment of Avian Influenza" – saving of ₹4217.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4220.00 lakhs) was due to non-extension of World Bank assisted project.

(e) "National Animal Disease Reporting System (NADRS)" – saving of ₹327.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹824.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing

की आवश्यकता होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

to non–receipt of sufficient proposals in the scheme and requirement of less funds by National Informatics Centre for IT component.

(खा) "गाय और भैंस विकास" -

(क) "केंद्रीय पशु दल पंजीकरण स्कीम" - ₹122.35 लाख की बचत (₹650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय गाय और भैंस प्रजनन परियोजना" - ₹2445.57 लाख की बचत (₹12179.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "कुक्कुट विकास" -

(क) "केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन" - ₹600.85 लाख की बचत (₹2630.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बर्ड फ्लू के फैलने की वजह से कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(ख) "कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि" - ₹184.85 लाख की बचत (₹1950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा लाभार्थियों के विवरण प्रस्तुत किए जाने में विलंब होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घा) "चारा और चारागाह विकास" -

(क) "क्षेत्रीय चारा उत्पादन और निदर्शन केंद्र" - ₹759.46 लाख की बचत (₹1640.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान

(B) "Cattle and Buffalo Development"–

(a) "Central Herd Registration Scheme" – saving of ₹122.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹650.00 lakhs) was due to receipt of less proposals in the scheme and non-filling up of vacant posts.

(b) "National Project for Cattle and Buffalo Breeding" – saving of ₹2445.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12179.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Poultry Development" –

(a) "Central Poultry Development Organisations" – saving of ₹600.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2630.00 lakhs) was due to release of less funds owing to outbreak of bird flu.

(b) "Poultry Venture Capital Fund" – saving of ₹184.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1950.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to delay in submission of beneficiary details by National Bank for Agriculture and Rural Development.

(D) "Fodder and Feed Development" –

(a) "Regional Stations for Forage Production and Demonstration" – saving of ₹759.46

की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे, व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) "चारा फसलों पर मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम" - ₹200.07 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का आंशिक आशोधन किए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "प्रशासनिक अन्वेषण और सांख्यिकी - पशु गणना" - ₹113.05 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(चा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" -

(क) "राष्ट्रीय गाय और भैंस प्रजनन परियोजना" - ₹2221.91 लाख की बचत (₹5235.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "पशु बीमा" - ₹294.26 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और राज्यों से कम मांग होने के कारण हुई।

(ग) "कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि" - ₹550.00 लाख की बचत (₹750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों के विवरण प्रस्तुत किए जाने में विलंब होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹1640.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non–receipt of viable proposals and economy measures.

(b) "Minikit Testing Programme on Fodder Crops" – saving of ₹200.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to partial modification of the scheme.

(E) "Administrative Investigation and Statistics – Livestock Census"– saving of ₹113.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to non receipt of proposals.

(F) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(a) "National Project for Cattle and Buffalo Breeding" – saving of ₹2221.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5235.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and non-receipt of viable proposals from the implementing agencies.

(b) "Livestock Insurance" – saving of ₹294.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies and less demand from States.

(c) "Poultry Venture Capital Fund" – saving of ₹550.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹750.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to delay in submission of beneficiary details.

(घ) “पाद और मुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹701.00 लाख की बचत (₹3300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पाद और मुख रोग वैक्सीन की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(ङ) “जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास” - ₹418.36 लाख की बचत (₹745.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2404” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “डेरी विकास परियोजनाएं” -

(क) “सहकारिताओं को सहायता” - ₹278.00 लाख की बचत (₹840.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “राष्ट्रीय डेरी योजना” - ₹500.00 लाख की बचत (₹10675.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) “गुणवत्ता युक्त और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का अवसंचना सुदृढ़ीकरण” - ₹1157.72 लाख की बचत (₹2850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -

(क) “राष्ट्रीय डेरी योजना” - ₹200.00 लाख की बचत (₹2325.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “गुणवत्ता युक्त और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का अवसंरचना विकास” - ₹389.00 लाख की बचत (₹750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(d) “Foot and Mouth Disease Control Programme” – saving of ₹701.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3300.00 lakhs) was due to less procurement of Foot and Mouth Disease vaccine.

(e) “Integrated Development of Small Ruminants and Rabbits” – saving of ₹418.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹745.00 lakhs);

(IV) Under Major Head “2404”– savings occurred under the following heads:–

(A) “Dairy Development Projects” –

(a) “Assistance to Cooperatives” – saving of ₹278.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹840.00 lakhs);

(b) “National Dairy Plan” – saving of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10675.00 lakhs);

(c) “Strengthening Infrastructure for Quality and Clean Milk Production” - saving of ₹1157.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2850.00 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes” –

(a) “National Dairy Plan” – saving of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2325.00 lakhs); and

(b) “Strengthening Infrastructure for Quality and Clean Milk Production” –saving of ₹389.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹750.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से पर्याप्त/व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(गा) “दिल्ली दुग्ध योजना” -

(क) “अधिप्राप्ति” - ₹2367.30 लाख की बचत (₹30221.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “प्रसंस्करण” - ₹121.34 लाख की बचत (₹3487.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) “वितरण” - ₹206.74 लाख की बचत (₹1036.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) “परिवहन” - ₹288.60 लाख की बचत (₹843.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा कम राजस्व प्राप्त होने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष “2405” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “निदेशन और प्रशासन - मत्स्य सेक्टर के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण” - ₹114.46 लाख की बचत (₹220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(खा) “ज्वार नदी मुखीय/खारा जल मत्स्य पालन - अवतरण तथा लंगरगाह सुविधाएं” - ₹104.04 लाख की बचत (₹375.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, पुणे को मॉडल अध्ययन की आउटसोर्सिंग के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने

Savings under the above six heads were due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non–receipt of sufficient/viable proposals in the scheme from the implementing agencies.

(C) “Delhi Milk Scheme” –

(a) “Procurement” – saving of ₹2367.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30221.00 lakhs);

(b) “Processing” – saving of ₹121.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3487.00 lakhs);

(c) “Distribution” – saving of ₹206.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1036.00 lakhs); and

(d) “Transport” – saving of ₹288.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹843.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to less revenue receipt by Delhi Milk Scheme.

(V) Under Major Head “2405”– savings occurred under the following heads:–

(A) “Direction and Administration – Strengthening of Database and Geographical Information System of the Fisheries Sector” – saving of ₹114.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹220.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years with the Implementing Agencies.

(B) “Estuarine/brackish Water Fisheries – Landing and Berthing Facilities”–saving of ₹104.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹375.00 lakhs) was due to non approval of proposal for outsourcing of model studies to

और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों का उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(गा) "समुद्री मछली पालन" -

(क) "भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण" - ₹390.69 लाख की बचत (₹4214.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, पोतों के शुष्क गोदी बिलों का समाशोधन न किए जाने और कंप्यूटरों की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "तटवर्ती मत्स्य पालन" - ₹150.24 लाख की बचत (₹2746.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(घा) "विस्तार और प्रशिक्षण - केंद्रीय समुद्री मछली पालन नाविक इंजीनियरी प्रशिक्षण केंद्र" - ₹224.79 लाख की बचत (₹2059.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोतों को पट्टे पर दिए जाने और पोतों और कंप्यूटरों के लिए मशीनरी की खरीद का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(ड) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड" - ₹319.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य" -

Central Water and Power Research Station, Pune and utilisation of less funds by Central Public Works Department.

(C) "Marine Fisheries"–

(a) "Fishery Survey of India" – saving of ₹390.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4214.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-settlement of drydocking bills of fishing vessels and non-finalisation of proposals for purchase of computers.

(b) "Off–shore Fisheries" – saving of ₹150.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2746.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of viable proposals and economy measures.

(D) "Extension and Training – Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training"– saving of ₹224.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2059.00 lakhs) was due to non–materialisation of leasing of vessels and purchase of machinery for the vessels and computers.

(E) "Special Component Plan for Scheduled Castes – National Fisheries Development Board" – saving of ₹319.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-receipt of viable proposals in the scheme.

(VI) Under Major Head "3601"– "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - savings occurred under the following heads:–

(A) "Animal Husbandry –Veterinary Services and Animal Health" –

(क) "विद्यमान अस्पतालों/औषधालयों का सुदृढ़ीकरण" - ₹2810.15 लाख की बचत (₹7885.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(a) "Strengthening of existing hospitals/ dispensaries" – saving of ₹2810.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7885.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years with the State Governments.

(ख) "राष्ट्रीय पेस्ट डेस पेटिस रूमिनैंटस नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹274.00 लाख की बचत (₹669.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "National Control Programme of Peste des Petits Ruminants (PPR)" – saving of ₹274.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹669.00 lakhs) was due to non–receipt of sufficient proposals from the State Governments.

(ग) "राष्ट्रीय ब्रूसलोसिस नियंत्रक कार्यक्रम" - ₹108.51 लाख की बचत (₹570.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(c) "National control programme on Brucellosis" – saving of ₹108.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹570.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non–receipt of sufficient proposals in the scheme.

(खा) "पशु पालन - कुक्कुट विकास" -

(B) "Animal Husbandry – Poultry Development"–

(क) "राज्य कुक्कुट/बतख फार्मों को सहायता" - ₹728.60 लाख की बचत (₹923.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "Assistance to States Poultry/Duck Farms" – saving of ₹728.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹923.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year and non-receipt of viable proposals from the State Governments.

(ख) "ग्रामीण पिछला अहाता कुक्कुट विकास" - ₹232.68 लाख की बचत (₹2615.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार द्वारा सतही स्तर पर कार्यान्वयन किए जाने में विलंब होने की वजह से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Rural Backyard Poultry Development" – saving of ₹232.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2615.00 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to delay in ground level implementation by the State Governments.

(गा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" -

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(क) "पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य" - ₹382.39 लाख की बचत (₹3320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "पशु पालन - कुक्कुट विकास" - ₹305.01 लाख की बचत (₹1005.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन किए जाने में विलंब होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "मत्स्य पालन - समुद्री मत्स्य पालन" - ₹808.31 लाख की बचत (₹2250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "मत्स्य पालन - आंतर स्थलीय मत्स्य पालन" - ₹573.71 लाख की बचत (₹750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(VII) मुख्य शीर्ष "3602" - "कैंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - मत्स्य पालन - समुद्री मत्स्य पालन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-v

(का) "समुद्री मत्स्य पालन, अवसंरचना और फसल के बाद के कार्यों का विकास" - ₹300.00 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण और मत्स्य पालन प्रशिक्षण और विस्तार" - ₹300.00 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Animal Husbandry – Veterinary Services and Animal Health" – saving of ₹382.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3320.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non–receipt of sufficient proposals.

(b) "Animal Husbandry – Poultry Development" – saving of ₹305.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1005.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to delay in ground level implementation by the States.

(c) "Fisheries – Marine Fisheries" – saving of ₹808.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2250.00 lakhs); and

(d) "Fisheries – Inland Fisheries" – saving of ₹573.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹750.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-receipt of sufficient proposals.

(VII) Under Major Head "3602"– "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Fisheries – Marine Fisheries" - savings occurred under the following heads:–

(A) "Development of Marine Fisheries, Infrastructure and Post Harvest Operations" – saving of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs); and

(B) "National Welfare of Fishermen and Fisheries Training and Extension" – saving of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-receipt of sufficient proposals from the Union Territory of Puducherry.

(VIII) दस शीर्षों के अंतर्गत ₹773.56 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक थी।

(VIII) Under ten heads savings of ₹773.56 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 20 percent to 92 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹19000.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2013 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था: -

2.(I) The above savings were partly (₹19000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re–appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in March, 2013 under the following major heads:–

(का) मुख्य शीर्ष “2403” - “गाय और भैंस विकास - पशु बीमा” - ₹500.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹353.46 लाख था।

(A) Major Head “2403”–“Cattle and Buffalo Development - Livestock Insurance” – ₹500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹353.46 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष “2404” -

(क) “डेरी विकास परियोजनाएं - डेरी उद्यमिता विकास” - ₹18300.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹18299.40 लाख था।

(ख) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - डेरी उद्यमिता विकास” - ₹200.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹199.80 लाख था।

(B) Major Head “2404” -

(a) “Dairy Development Projects – Dairy Entrepreneurship Development” – ₹18300.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹18299.40 lakhs.

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Dairy Entrepreneurship Development” – ₹200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹199.80 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:–

(का) मुख्य शीर्ष “2403” -

(क) “गाय और भैंस विकास - केंद्रीय गाय प्रजनन फॉर्म” - ₹185.92 लाख का अधिक व्यय (₹2680.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अस्थायी कार्मिकों के लिए ग्रेड वेतन के बकायों की अदायगी के लिए

(A) Major Head “2403”–

(a) “Cattle and Buffalo Development - Central Cattle Breeding Farms” – excess of ₹185.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2680.00 lakhs) was due to requirement of

अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "भेड़ और ऊन विकास - जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास" - ₹150.00 लाख का अधिक व्यय (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) "सूअरबाड़ा विकास - सूअरबाड़ा विकास" - ₹450.00 लाख का अधिक व्यय (₹250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष "2405" - "मत्स्य पालन सहकारिताएं - राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड" - ₹1530.00 लाख का अधिक व्यय (₹6970.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) मुख्य शीर्ष "2404" -

(क) "डेरी विकास परियोजनाएं - सघन डेरी विकास कार्यक्रम" - ₹984.99 लाख का अधिक व्यय (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "दिल्ली दुग्ध योजना - प्रशासन" - ₹129.21 लाख का अधिक व्यय (₹1135.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ते और वेतन में बढ़ोतरी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" -

additional funds towards payment of arrears of grade pay to temporary workers.

(b) "Sheep and Wool Development - Integrated Development of Small Ruminants and Rabbits" – excess of ₹150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs);

(c) "Piggery Development - Piggery Development" – excess of ₹450.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs);

(B) Major Head "2405" - "Fisheries Cooperatives - National Fisheries Development Board" – excess of ₹1530.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6970.00 lakhs); and

(C) Major Head "2404" -

(a) "Dairy Development Projects - Intensive Dairy Development Programme" – excess of ₹984.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to re–appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Delhi Milk Scheme - Administration" – excess of ₹129.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1135.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increased dearness allowance and salary.

(D) Major Head "3601" -

(क) "केंद्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान - पशु पालन - प्रशासनिक अन्वेषण और सांख्यिकी - पशु गणना" - ₹1881.85 लाख का अधिक व्यय (₹12390.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(i) "पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - पशु रोग नियंत्रण" - ₹1548.00 लाख का अधिक व्यय (₹5277.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "मत्स्य पालन - समुद्री मत्स्य पालन" -

(1) "समुद्री मत्स्य पालन, अवसंरचना और फसल के बाद के कार्यों का विकास" - ₹542.86 लाख का अधिक व्यय (₹3650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(2) "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण और मत्स्य पालन प्रशिक्षण एवं विस्तार" - ₹277.83 लाख का अधिक व्यय (₹2600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और मछुआरों के घरों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(a) "Grants for Central Plan Schemes – Animal Husbandry – Administrative Investigation and Statistics - Livestock Census" – excess of ₹1881.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12390.00 lakhs);

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(i) "Animal Husbandry – Veterinary Services and Animal Health - Animal Disease Control" – excess of ₹1548.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5277.00 lakhs); and

(ii) "Fisheries – Marine Fisheries" -

(1) "Development of Marine Fisheries, Infrastructure and Post Harvest Operations" – excess of ₹542.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3650.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re–appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds by the State Governments.

(2) "National Welfare of Fishermen and Fisheries Training and Extension"– excess of ₹277.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2600.00 lakhs) was due to re–appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds by the State Governments for completion of fishermen houses.

(iii) "पशु पालन - चारा और चारागाह विकास - चारा और चारागाह विकास स्कीम" - ₹2799.02 लाख का अधिक व्यय (₹3350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और सूखा प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iv) "पशु पालन - भेड़ और ऊन विकास - जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का एकीकृत विकास" - ₹115.85 लाख का अधिक व्यय (₹505.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(v) "डेरी विकास - डेरी विकास परियोजनाएं - गुणवत्ता मुफ्त और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" - ₹234.03 लाख का अधिक व्यय (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(vi) "मत्स्य पालन - आंतर स्थलीय मत्स्य पालन - आंतर स्थलीय जल संस्कृति और मत्स्य पालन का विकास" - ₹1303.80 लाख का अधिक व्यय (₹1650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(vii) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - पशु पालन - चारा और चारागाह विकास" - ₹200.00 लाख का अधिक व्यय (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूखा

(iii) "Animal Husbandry – Fodder and Feed Development - Fodder and Feed Development Scheme" – excess of ₹2799.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3350.00 lakhs) was due to re–appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds for drought affected States.

(iv) "Animal Husbandry – Sheep and Wool Development - Integrated Development of Small Ruminants" – excess of ₹115.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹505.00 lakhs);

(v) "Dairy Development – Dairy Development Projects - Strengthening Infrastructure for Quality and clean Milk production"– excess of ₹234.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs); and

(vi) "Fisheries – Island Fisheries - Development of Inland Aquaculture and Fisheries" – excess of ₹1303.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1650.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re–appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(vii) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Animal Husbandry – Fodder and Feed Development" – excess of ₹200.00 lakhs (against the

प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards drought affected areas.

(ड) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पशु पालन - प्रशासनिक अन्वेषण और सांख्यिकी - पशु गणना" - ₹190.00 लाख का अधिक व्यय (₹10.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी को 19वें पशु गणना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(E) Major Head "3602"- "Grants for Central Plan Schemes – Animal Husbandry – Administrative Investigation and Statistics - Livestock Census" – excess of ₹190.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by Union Territory of Puducherry for 19th Livestock Census.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹70.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 47 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹70.00 lakhs occurred constituting 47 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4403" पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4403" Capital Outlay on Animal Husbandry				
मू.	O.	1130.00	1077.00	716.93	–360.07
पु.	R.	–53.00			
मुख्य शीर्ष "4405" मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4405" Capital Outlay on Fisheries				
मू.	O.	950.00	624.00	324.31	-299.69
पु.	R.	–326.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4403" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाएं" - ₹285.87 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दो नए स्टेशनों का निर्माण करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "गाय और भैंस विकास - केंद्रीय गाय प्रजनन फार्म" - ₹106.49 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "4405" - "विस्तार और प्रशिक्षण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "केंद्रीय समुद्री मछली पालन नाविक एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण केंद्र" - ₹125.05 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण" - ₹473.89 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों अंतर्गत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नए हॉस्टल भवन/कार्यालय भवन के निर्माण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹63.74 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 32 प्रतिशत थी।

(I) Under Major Head "4403"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Veterinary Services and Animal Health – Animal Quarantine and Certification Services"– saving of ₹285.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Central Public Works Department for construction of two new stations.

(B) "Cattle and Buffalo Development – Central Cattle Breeding Farms" – saving of ₹106.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Central Public Works Department owing to slow pace of work.

(II) Under Major Head "4405" – "Extension and Training" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training" – saving of ₹125.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs); and

(B) "Fishery Survey of India" – saving of ₹473.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds by Central Public Works Department for construction of new hostel building/office building.

(III) Under one head saving of ₹63.74 lakhs occurred constituting 32 percent of the sanctioned provision.